

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जेंज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

27.10.25

पत्रावली वास्ते आर्डेबार्थ पेय हुई। उमरग
सेवेप में इस प्रकार है कि एड दावा तहसीलदार
करौली द्वारा शाही धारा 177 के तहत पेय कर
निवेदन किया गया कि गाँव सखेडी के ख.न.
816, 817, 818, 820 से डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी में
फ़ैलु मौके पर बिना संपरिवर्तन कराये धूमि को
समतल कर मुड़ी जादफ़र अवैध प्लॉटिंग का कार्य
किया जा रहा है। हबि धूमि पर बिना संपरिवर्तन
के अधिषि कार्य किया जा रहा है। दावा दर्ज
रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया
गया। वायपूड तालिका के प्रतिवादी उपस्थित नहीं
आया। इस कारण प्रतिवादी के विरुद्ध फ़िल्टरका
कार्यवाही की गई। TOR द्वारा दावे में सीधी
बहस का निवेदन किया गया कि उक्त धूमि पर
बिना संपरिवर्तन कराये जैर-हबि कार्य किया
जा रहा है। इस कारण उक्त धूमि को राजकीय
सिवायनक घोषित किया जा रहा है। पत्रावली
का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया
गया। अवलोकन उपरांत दावा विरुद्ध प्रतिवादीगण
स्वीकार किया जाता है तथा उक्त आराजी
ख.न. 816, 817, 818, 820 जता. सखेडी को
राजकीय सिवायनक करने के आर्डेब डिबे
जाते हैं। निर्णय की पालना TOR करौली को
तहसीर जारी हो व पत्रावली केंशल मुमाद
दफ़्तर नंबर से कम डायलिन दफ़्तर से।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज्य)